

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक-
06/पणन(स0)-207/2023

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत बाजार समिति प्रांगण गयाजी, में 2x5000 मे0टन के नये विभागीय गोदाम के निर्माण हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 11,74,20,000.00 (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख बीस हजार) रू0 मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 11,73,20,000.00/- (ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत बाजार समिति प्रांगण गयाजी, में 2x5000 मे0टन के नये विभागीय गोदाम के निर्माण हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 11,74,20,000.00 (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख बीस हजार) रू0 मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति की अनुशंसा विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रदान की गई है।

उक्त अनुशंसित योजना प्रस्ताव के आलोक में कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 5,61,84,380/- (पाँच करोड़ एकसठ लाख चौरासी हजार तीन सौ अस्सी) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष राशि 6,12,35,620/- रू0 के निकासी एवं व्यय किए जाने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-376 दिनांक-06.10.2025 निर्गत किया गया, परन्तु कतिपय कारणों से वित्तीय 2025-26 के लिए निकासी एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि रू0 5,61,84,380/- के विरुद्ध मात्र 1,00,000/- (एक लाख रुपये) बिहार राज्य भंडार निगम को आवंटित किया गया। इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11,73,20,000/- (ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रुपये 11,73,20,000/- (ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख बीस हजार) वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उप मुख्यशीर्ष-02 भंडारण और भंडागारण, लघु शीर्ष-190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, उप शीर्ष-0101, बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान, विस्तृत शीर्ष- 31, सहायता अनुदान, विषय शीर्ष 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड- 09-2408021900101 अन्तर्गत राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के Axis Bank Ltd., Boring Canal Road Branch, Patna-800001 खाता संख्या- 918020089956951, IFS CODE- UTIB0003515 में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

7. योजना की स्वीकृति की अनुशंसा विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्रदान की गई है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स0)-207/2023 के पृष्ठ संख्या-149 टि0 पर दिनांक-05.06.2026 को प्राप्त है।

9. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-06/पणन(स0)-207/2023 के पृष्ठ संख्या-150 टि0 पर दिनांक-10.06.2026 को प्राप्त है।

10. योजना प्रस्ताव एवं उक्त राशि की स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन (संचिका संख्या 06/पणन(स0)-207/2023 के पृष्ठ संख्या 115/टि0 पर) प्राप्त है।

11. इस संबंध में पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-376 दिनांक-06.10.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....170...../पटना, दिनांक 13/06/26
06/पणन(स0)-207/2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक सं०स०, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1
18/06/26

सरकार के अपर सचिव।